

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 113/2017

कजोड पिंग मेघा धाकड निवाली-मानगज
बनाम

- ① देवकरण पिंग मधुरा जाट निवाली-बिडलपुरा
- ② नंदा पिंग बरडा धाकड निवाली-मानगज
- ③ पारा पिंग रामा धाकड निवाली-मानगज
- ④ बूरा पिंग मधुरा जाट निवाली-बिडलपुरा
- ⑤ रामसुठ पिंग मधुरा जाट निवाली-बिडलपुरा
- ⑥ रोमेश्वर पिंग धाकड जाट निवाली-बिडलपुरा
- ⑦ धन्ना पिंग लख्खा धाकड - आदेश :- निवाली-भगानीपुरा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कजोड पिंग मेघा धाकड निमानगज ने जरिये अभिभाषक श्री सावक मल रेवाली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~मानगज~~ प0ह0 जोजवा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन

~~1909 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा~~

किता 01 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीम विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।


अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम जोजवा की आराजी न0

~~1909 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा~~

01 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा जोजवा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 600 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा